



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271718
CG-DL-E-10042026-271718

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1731]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948

No. 1731]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

का.आ. 1799(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशा0), जिला-वाराणसी को उत्तर-प्रदेश राज्य में नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी शहर की भीड़भाड़ कम करने के लिए वरूणा नदी के किनारे रिवरबैंक कनेक्टिविटी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (एनएच-31) और वाराणसी रिंग रोड के बीच लिंक/कनेक्टर कॉरिडोर के विकास के लिए विस्तृत परियोजना के डिजाईन चनेज कि.मी. 0.000 से कि.मी. 21.153 कि.मी तक के भूखण्ड का निर्माण (दो/चार लेन का बनाने / चौड़ाकरण एवं बायपासों आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर-प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी शहर की भीड़भाड़ कम करने के लिए वरूणा नदी के किनारे रिवरबैंक कनेक्टिविटी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (एनएच-31) और वाराणसी रिंग रोड के बीच लिंक/कनेक्टर कॉरिडोर के विकास के लिए विस्तृत परियोजना के डिजाईन चेनेज कि.मी. 0.000 से कि. मी. 21.153 कि.मी तक की बावत् भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) वाराणसी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी 0 से कि.मी 21.153 तक	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	पिंडरा	1 प्रताप पट्टी 2 वाजिदपुर 3 मंशापुर
					सदर	1 हुकुलगंज 2 शहरखास

[फा. सं. 11015/LA/VarunaElevated/Varanasi]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2026

S.O. 1799(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the **Additional District Magistra (E)**, Dist.-Varanasi, as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Design Chainage Km 0+000 to Km 21+153 of the National Highway Development of a Link/Connector Corridor connecting the National Highway-31 (NH-31), Varanasi Ring Road and the New National Highway along the River Varuna for Decongestion of Varanasi City for building (widening / two/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of (Varuna River Elevated Corridor) as specified in the Schedule given below.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway Development of a Link/Connector Corridor connecting the National Highway-31 (NH-31), Varanasi Ring Road and the New National Highway along the River Varuna for Decongestion of Varanasi City (Varuna River Elevated Corridor) on the stretch from (Design Chainage Km 0+000 to Km 21+153) in the State Uttar Pradesh.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Additional District Magistra (E) Va	No Yet to be Assigned KM 0 TO KM 21.153	UTTAR PRADESH	VARANASI	Pindra	1 Pratap Patti 2 Vajidpur 3 Mansapur
					Sadar	1 Hukulganj 2 Shaharkhas

[F. No. 11015/LA/VarunaElevated/Varanasi]

SHAIKH AMINKHAN, Director